Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 24, 2012
(BHADRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2012

No. 22—HLA of 2012/55.—The Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 22—HLA of 2012

THE HARYANA PROHIBITION OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTION BILL, 2012

A

Bill

to provide for prohibition of ragging in educational institutions in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Act, 2012. Short title

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(a) "Act" means the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Act, 2012;

(b) "committee" means an anti ragging committee constituted under Section 5 of the Act;

(c) "educational institution" means a school, college, university or an institution and its constituent unit and includes canteen, hostel or transport provided by school, college or university, whether within or outside the premises;

(d) "Government" means Government of the State of Haryana;

(e) "Head" means the Vice-Chancellor of the university, Principal of the College or Principal/Headmaster of the School, as the case may be, head of an institution or Director of an educational institution, by whatever name called;

(f) "institution" means technical and professional educational institution and includes institution imparting education and research facilities set up by an Act of Parliament or State;

(g) "ragging" means doing an act which causes or is likely to cause insult or annoyance or fear or apprehension or threat of intimidation or outrage of the modesty or injury to a student and includes the following acts, namely:—

(i) abetment to ragging;

(ii) criminal conspiracy to ragging;

(iii) unlawful assembly and rioting while ragging;

(iv) public nuisance created during ragging;

(v) verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour;

(vi) outraging the modesty;

(vii) injury to body, causing hurt or grievous hurt;

(viii) wrongful restraint;

(ix) wrongful confinement;

(x) use of criminal force;

(xi) assault as well as sexual offence;

(xii) extortion;

(xiii) trespass;

(xiv) offence against property;

(xv) criminal intimidation;

(xvi) physical or psychological humiliation;

(xvii) defamation or threat to defame;

(xviii) any type of abuse through electronic media;

(xix) threat to commit any or all of the above mentioned offences;

(h) "State" means the State of Haryana;

(i) "student" means any person pursuing education in an educational institution.

Prohibition of ragging.

3. (1) There shall be a complete prohibition of ragging of a student in all the educational institutions, in any form and nature.

(2) No educational institution shall permit or condone any incident of ragging in any form and shall take all necessary and required measures including but not limited to the provisions of the Act to achieve the objective of eliminating ragging within the educational institution or outside.

(3) No student shall practise ragging in any form, within or outside the premises of an educational institution.

(4) All educational institutions shall take action in accordance with the Act against those found guilty of ragging.

Duties and responsibility of Head.

4. The Head shall,—

(i) be overall responsible to stop and prevent ragging and take all necessary preventive measures to prohibit ragging in educational institution and shall ensure that no person practise ragging in any form within or outside the premises of an educational institution and shall adopt required measures to achieve the object;

(ii) obtain an undertaking in writing from the student, in case he is eighteen or above or from his parents/guardian in case he is less than eighteen that he shall not attempt, abet or commit ragging inside or outside the educational institution at the time of admission;

(iii) give full publicity to the provisions of the Act and about the members of the committee alongwith their mobile numbers etc. by placing the same at prominent places as well as at notice board in the educational institution and also make it a part of prospectus and upload it on its website, if any;

(iv) give full publicity to the punishments to be awarded for ragging through open circulars and suitable posters in the educational institution; and

(v) notify any change in the constitution of the committee immediately and shall take necessary action as per clause (iii) above.

Constitution of committee.

5. (1) There shall be constituted with immediate effect one or more committee(s) in all educational institutions by the Head, depending upon strength of students, vastness of premises of the educational institution and the number of departments etc.

(2) Each committee shall consist of three senior faculty members out of which at least one shall be a woman and senior most amongst them shall be the Chairperson. The committee shall also consist of two representatives from amongst the parents of the students including a woman to be nominated by the Head:

Provided that in case of an educational institution exclusively for boys or girls, all the members may be male or female, as the case may be.

(3) The parents of the students nominated in a committee shall hold office for a maximum term of two academic sessions.

Powers and functions of committee.

6. (1) The committee or any member thereof shall have power to inspect any class room, hostel room or any other enclosure where it apprehends that any incident of ragging is being committed or there is apprehension of the same.

(2) The committee may take appropriate steps and suggest such measures, as deemed necessary, to the Head.

(3) On receipt of an information by any member of the committee from the Head, a student, parents or any source in writing or through any electronic media that an act of ragging is being committed or there is apprehension of the same, he shall intimate the same to the Chairperson and may conduct raid, if necessary, or take other appropriate steps to stop the act of ragging.

(4) The member or the committee may conduct on the spot inquiry observing a fair and transparent procedure and the principle of natural justice and shall give an adequate opportunity to the victim student, student accused of ragging, other witnesses and may also ask them to produce other documents or witnesses, if necessary, concerning the incident of ragging.

(5) The committee shall submit the inquiry report to the Head within seventy two hours of the incident for appropriate action under the Act:

Provided that in case an offence is committed under the provisions of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and is a cognizable offence, the member shall immediately report the matter to the Head.

Action to be taken by Head.

7. (1) On receipt of the information of ragging, the Head will direct the committee to make an inquiry and report.

(2) The Head shall examine the report and if satisfied will take appropriate action as per the gravity of offence.

(3) On receipt of the report from the committee, the Head shall immediately determine if a criminal offence is made out and if so, either on his own motion or through a member of the committee authorised by him, shall proceed to file First Information Report immediately:

Provided that the educational institution shall also continue with its own inquiry and other measures without waiting for action on the part of the police.

(4) If the Head is not satisfied with the report made by the committee, he may himself, conduct an independent enquiry and pass any appropriate orders in writing, for reasons to be recorded therein. He may also decide to lodge First Information Report, if an offence is found to have been committed under the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and is a cognizable offence.

Punishments.

8. (1) In a proven case of ragging, whether First Information Report has been lodged or not, the Head shall impose a punishment of suspension for at least a period of two semesters or one annual academic year, as the case may be, and may also impose any one or a combination of penalties as listed in clauses (i) to (x) of Sub-section (2) of this section.

(2) Depending upon the nature and gravity of the offence as reported by the committee, the Head may, in addition to any punishment mentioned under Sub-section (1) of this section, impose any one or combination of the following punishments upon the student(s) found guilty,—

(i) withholding or withdrawing scholarship or fellowship and other benefits;

(ii) forfeiting campus placement opportunities or recommendations;

(iii) debarring from appearing in any test or examination or other evaluation process;

(iv) withholding of results;

(v) debarring from representing the educational institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival etc.;

(vi) suspension or expulsion from the hostel;

(vii) cancellation of admission;

(viii) rustication from the educational institution for a period ranging upto three years;

(ix) expulsion from the educational institution and consequent debarring from admission to any other educational institution for a period of three years;

(x) imposition of fine upto twenty five thousand rupees.

Offences by educational institution.

9. In case of any contravention of the provisions of the Act or direction or order made thereunder by an educational institution, the Head shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to twenty-five thousand rupees.

Imposition of fine.

10. The Government may impose a fine on an educational institution, in case it is not complying with the provisions, directions or orders issued by the Government, from time to time, which may extend to two lac rupees in case of a college/school and five lac in case of a university:

Provided that no fine shall be imposed unless an opportunity of personal hearing has been given to the educational institution.

Provisions not to be derogatory to certain laws.

11. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the statutes framed under various Haryana Universities Act and other laws.

Power to remove difficulties.

12. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions consistent with the provisions of the Act, as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Repeal and savings.

13. (1) The Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Ordinance, 2012 (Haryana Ordinance No. 3 of 2012), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

Ragging is a social menace which has devasting psychological and physical effect on a student. Ragging adversely impacts the standards of Higher Education. Some State have already enacted laws for prevention of ragging in the Schools, Colleges, Universities and professional institutions. Therefore, to make the Schools, Colleges, Universities and the professional institutions free from social injustice, mental, physical and other kinds of harassment in the form of ragging, it has been decided to make a law to provide for prohibiting ragging in the said educational institutions.

Further Hon'ble Supreme Court has also passed a judgement in University of Kerala v/s Council, Principals, Colleges, Kerala & others where it has been directed that the State Government shall take adequate measures for prevention and prohibition of ragging.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 22-एच० एल० ए०

हरियाणा शैक्षणिक संस्था में रैगिंग प्रतिषेध विधेयक, 2012

हरियाणा राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के प्रतिषेध के लिए तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा शैक्षणिक संस्था में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है ।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा शैक्षणिक संस्था में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2012 ;

(ख) "समिति" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित रैगिंग विरोधी समिति;

(ग) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्राय है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई संस्था तथा इसकी घटक इकाई तथा इसमें विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित कैन्टीन, छात्रावास या परिवहन, चाहे परिसर के भीतर या बाहर है, शामिल है;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) "मुखिया" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलपति, महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या विद्यालय का प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक, जैसी भी स्थिति हो, संस्था का मुखिया या शैक्षणिक संस्था का निदेशक, चाहे किसी नाम से पुकारा जाए;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है, तकनीकी तथा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था तथा इसमें संसद् या राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं देने वाली संस्था शामिल है;

(छ) "रैगिंग" से अभिप्राय है, कोई कृत्य करना जो छात्र के अपमान या चिढ़ाने या भय या अभित्रास की आशंका या धमकी या लज्जा को भंग या क्षति

करता है या करने के लिए संभाव्य है तथा इसमें निम्नलिखित कृत्य शामिल हैं, अर्थात्:—

(i) रैगिंग के लिए उकसाहट;

(ii) रैगिंग का आपराधिक षडयंत्र;

(iii) रैगिंग के दौरान अवैध जमावड़ा तथा उपद्रव;

(iv) रैगिंग के दौरान सार्वजनिक बाधा उत्पन्न करना;

(v) मौखिक अपशब्द तथा छेड़छाड़, अशोभनीय संकेत तथा अश्लील व्यवहार;

(vi) लज्जा भंग करना;

(vii) शरीर को क्षति, चोट या गहरी चोट पहुंचाना;

(viii) सदोष अवरोध;

(ix) सदोष परिरोध;

(x) आपराधिक बल का उपयोग;

(xi) आक्रमण के साथ–साथ यौन–अपराध;

(xii) बलपूर्वक छीनना;

(xiii) अतिचार करना;

(ivx) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध;

(xv) आपराधिक अभित्रास;

(xvi) शारीरिक या मनोवैज्ञानिक मानमर्दन करना;

(xvii) मानहानि या मानहानि करने की धमकी;

(xviii) इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार के अपशब्द;

(xix) उपरोक्त वर्णित किन्हीं या सभी अपराधों को करने की धमकी;

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(झ) "छात्र" से अभिप्राय है, किसी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा ले रहा कोई व्यक्ति।

रैगिंग का प्रतिषेध।

3. (1) सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र की किसी रूप या स्वरूप में रैगिंग का सम्पूर्ण प्रतिषेध होगा।

(2) कोई भी शैक्षणिक संस्था किसी रूप में रैगिंग की किसी घटना को अनुमत नहीं करेगी या माफ नहीं करेगी तथा किन्तु शैक्षणिक संस्था के भीतर या बाहर रैगिंग दूर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपायों सहित जो अधिनियम के उपबंधों तक सीमित न हो, करेगी।

(3) कोई भी छात्र शैक्षणिक संस्था के परिसरों के भीतर या बाहर, किसी भी रूप में रैगिंग नहीं करेगा।

(4) सभी शैक्षणिक संस्थाएं रैगिंग के दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगी।

मुखिया के कर्तव्य तथा जिम्मेदारी।

4. मुखिया,—

(i) रैगिंग को रोकने तथा निवारण के लिए सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शैक्षणिक संस्था में रैगिंग के प्रतिषेध के लिए सभी आवश्यक निवारक उपाय करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्था के परिसरों के भीतर तथा बाहर किसी रूप में रैगिंग नहीं करेगा तथा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित उपाय अपनाएगा ;

(ii) छात्र से, यदि वह अठारह या से अधिक है, या उसके माता–पिता / संरक्षक से यदि वह अठारह से कम है, लिखित में वचनबद्धता प्राप्त करेगा कि वह प्रवेश के समय पर शैक्षणिक संस्था के भीतर या बाहर रैगिंग का प्रयास नहीं करेगा, उकसायेगा नहीं या करेगा नहीं ;

(iii) शैक्षणिक संस्था में प्रमुख स्थानों के साथ साथ नोटिस बोर्ड पर अधिनियम के उपबन्धों तथा समिति के सदस्यों सहित उनकी मोबाइल संख्या इत्यादि देते हुए पूरा प्रचार करेगा तथा उसे विवरणिका का भाग भी बनाएगा तथा इसकी वैबसाइट, यदि कोई हो, पर उसे अपलोड भी करेगा;

(iv) शैक्षणिक संस्था में खुले परिपत्रों तथा उपयुक्त पोस्टरों के माध्यम से रैगिंग के लिए दिए जाने वाले दण्डों का पूरा प्रचार करेगा ; तथा

(v) तुरन्त समिति के गठन में कोई परिवर्तन अधिसूचित करेगा तथा उपरोक्त खण्ड (iii) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

समिति का गठन।

5. (1) मुखिया द्वारा छात्रों की संख्या, शैक्षणिक संस्था के परिसरों के विस्तार तथा विभागों इत्यादि की संख्या पर निर्भर करते हुए सभी शैक्षणिक संस्थाओं में तुरन्त एक या अधिक समिति (समितियों) का गठन करेगा।

(2) प्रत्येक समिति में तीन वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला होगी तथा उनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा। समिति में मुखिया द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली महिला सहित छात्रों के माता–पिता में से दो प्रतिनिधि भी होंगे :

परन्तु केवल लड़कों या लड़कियों के लिए किसी शैक्षणिक संस्था की दशा में, सभी सदस्य पुरुष या महिला, जैसी भी स्थिति हो, होंगे।

(3) समिति में नामनिर्दिष्ट छात्रों के माता–पिता अधिकतम दो शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

6. (1) समिति या उसके किसी सदस्य को किसी कक्षा, छात्रावास या किसी अन्य अनुलग्नक के निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहां यह आशंका रहती है कि रैगिंग की कोई घटना होनी है या उसके होने की आशंका है। समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

(2) समिति उचित कदम उठा सकती है तथा मुखिया को, ऐसे उपाय, जो आवश्यक समझे सुझा सकती है।

(3) मुखिया, किसी छात्र, माता–पिता या किसी स्रोत से लिखित में या किसी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समिति के किसी सदस्य द्वारा सूचना की प्राप्ति पर जो रैगिंग का कोई कृत्य किया जा रहा है या उसके किए जाने की आशंका है, तो वह अध्यक्ष को उसकी सूचना देगा तथा, यदि आवश्यक हो, रेड कर सकता है, या रैगिंग के कृत्य को रोकने के लिए अन्य उचित कदम उठा सकता है।

(4) सदस्य या समिति उचित तथा पारदर्शी प्रक्रिया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए घटना स्थल पर जांच–पड़ताल कर सकती है तथा पीड़ित छात्र, रैगिंग के दोषी छात्र, अन्य गवाहों को पर्याप्त अवसर देगी तथा उनसे अन्य रैगिंग की घटना से सम्बन्धित दस्तावेजों या गवाहों, यदि आवश्यक हों, को प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकती है।

(5) समिति मुखिया को अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई के लिए घटना के बहत्तर घण्टों के भीतर जांच पड़ताल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :

परन्तु यदि अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबन्धों के अधीन किया गया है तथा कोई संज्ञेय अपराध है, तो सदस्य तुरन्त मुखिया को मामले की रिपोर्ट करेगा।

7. (1) रैगिंग की सूचना की प्राप्ति पर, मुखिया समिति को जांच–पड़ताल तथा रिपोर्ट करने के लिए निदेश करेगा। मुखिया द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

(2) मुखिया रिपोर्ट की जांच करेगा तथा यदि संतुष्ट हो जाता है, तो अपराध की गंभीरता के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

(3) समिति से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, मुखिया तुरन्त अवधारित करेगा क्या दांडिक अपराध किया गया है तथा यदि ऐसा हुआ है तो यह या तो स्वप्रेरणा से या उस द्वारा प्राधिकृत समिति के किसी सदस्य के माध्यम से तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु शैक्षणिक संस्था अपनी जांच–पड़ताल तथा पुलिस की ओर से कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा किएं बिना अन्य उपाय भी जारी रखेगी।

(4) यदि मुखिया समिति द्वारा की गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह स्वयं स्वतन्त्र जांच–पड़ताल कर सकता है तथा उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए लिखित में उचित आदेश पारित कर सकता है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए भी विनिश्चय कर सकता है, यदि अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन किया गया पाया जाता है तथा कोई संज्ञेय अपराध है।

दण्ड।

8. (1) रैगिंग के किसी प्रमाणित मामले में, चाहे प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है या नहीं, मुखिया कम से कम दो सत्रों की अवधि या एक वार्षिक शैक्षणिक वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निलम्बन का दण्ड अधिरोपित करेगा तथा इस धारा की उप–धारा (2) के खण्ड (i) से (x) में यथा सूचीबद्ध किसी एक शास्ति या शास्तियों को मिलाते हुए भी अधिरोपित कर सकता है।

(2) समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता पर निर्भर रहते हुए, मुखिया, इस उप–धारा के अधीन वर्णित किसी दण्ड के अतिरिक्त दोषी पाए गए छात्र (छात्रों) पर निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक दण्ड या दण्डों को मिलाते हुए अधिरोपित कर सकता है,–

(i) छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभांश रोकना / वापस लेना ;

(ii) कैम्पस नियोजन अवसरों या संस्तुतियों से वंचित करना ;

(iii) किसी टैस्ट या परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से बहिष्कृत करना ;

(iv) परीक्षा परिणामों को रोकना ;

(v) किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल प्रतियोगिता, युवा समारोह इत्यादि में शैक्षणिक संस्था का प्रतिनिधित्व करने से बहिष्कृत करना ;

(vi) छात्रावास से निलम्बन या निष्कासन ;

(vii) दाखिले का रद्दकरण ;

(viii) शैक्षणिक संस्था से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए निष्कासन ;

(ix) शैक्षणिक संस्था से निष्कासन तथा इसके फलस्वरूप तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में दाखिले से बहिष्कृत करना;

(x) पच्चीस हजार रुपए तक जुर्माने का अधिरोपण करना।

शैक्षणिक संस्था द्वारा अपराध।

9. किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा अधिनियम या इसके अधीन किये गये निदेश या आदेश के उपबन्धों के किसी उल्लंघन की दशा में, मुखिया ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है, तथा ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

जुर्माने का अधिरोपण।

10. सरकार शैक्षणिक संस्था पर जुर्माना अधिरोपित कर सकती है, यदि, यह सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी उपबन्धों, निदेशों या आदेशों की अनुपालना नहीं करती है, जो महाविद्यालय / विद्यालय की दशा में दो लाख रुपए तथा विश्वविद्यालय की दशा में पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु कोई भी जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक शैक्षणिक संस्था को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

उपबन्धों का कतिपय विधियों के अनादर सूचक के रूप में न होना।

11. इस अधिनियम के उपबन्ध, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) तथा विभिन्न हरियाणा विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा अन्य विधियों के अधीन बनाए गए परिनियमों के अतिरिक्त तथा अनादर सूचक नहीं होंगे।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

12. यदि अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

13. (1) हरियाणा शैक्षणिक संस्था में रैगिंग प्रतिषेध अध्यादेश, 2012 (2012 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

रैगिंग एक सामाजिक बुराई है, जिससे एक छात्र पर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक तौर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रैगिंग का उच्च शिक्षा के मानकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ राज्य पहले ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा व्यवसायिक संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए नियम बना चुके हैं। इसलिए विद्यालयो, महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयों तथा व्यवसायिक संस्थानों को सामाजिक अन्याय, मानसिक, शारीरिक और रैगिंग के रूप में अन्य प्रकार से उत्पीड़न से मुक्त बनाने के लिये इन शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिये एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद् प्राचार्य, महाविद्यालयों केरल तथा अन्य में निर्देशित किया गया है कि रैगिंग रोकने और निषेध करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त उपाय करने होंगे।

इसलिए यह विधेयक।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
24 अगस्त, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।